

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 210]
No. 210]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2003/फाल्गुन 9, 1924
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2003/PHALGUNA 9, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2003

का.आ. 247(अ).—चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2003 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में, पैराग्राफ 3 और 4 में "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर "नब्बे दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. टी-12014/2/2003-प्लांट(ए)]

एल. वी. सप्तर्षि, अपर सचिव

टिप्पणी : मुख्य अभिसूचना दिनांक 1-1-2003 की का.आ. सं. 1(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
ORDER

New Delhi, the 28th February, 2003

S.O. 247(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (3) and (5) of Section 30 of the Tea Act, 1953, the Central Government being satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby make the following amendment in the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2003.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003, in paragraphs 3 and 4, for the words, "sixty days", the words "ninety days" shall be substituted.

[F. No. T-12014/2/2003-Plant (A)]

L. V. SAPTHARISHI, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published vide S. O. No. 1(F) dated 1-1-2003.